भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *98

(जिसका उत्तर मंगलवार दिनांक 29 जुलाई, 2025/07 श्रावण,1947 (शक) को दिया जाना है)

जाली मुद्रा का पकड़ा जाना

***98 श्री बी. पार्थसारधी रेड्डी:**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान पकड़े गए जाली नोटों की मूल्यवर्ग-वार और वर्ष-वार संख्या कितनी है;

(ख): क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने जाली नोटों पर अंकुश लगाने के लिए नए सुरक्षा चिह्नों या मुद्रण तकनीकों की सिफारिश की है या उन्हें अपनाया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या जाली मुद्रा का पता लगाने और इसका प्रचलन रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, गृह मंत्रालय और आसूचना ब्यूरो के बीच कोई समन्वय तंत्र मौजूद है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारामन)

(क) से (ङ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 29.07.2025 को पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 98 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (ङ): भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान बैंकिंग प्रणाली (अप्रैल-मार्च) में पता लगाए गए/रिपोर्ट किए गए जाली नोटों का मूल्यवर्ग-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

मूल्यवर्ग (₹)	2022-23	2023-24	2024-25
(नगों की संख्या)			
2 और 5	3	1	3
10	313	235	159
20	337	297	253
50	17,755	15,366	12,015
100	78,699	66,310	51,069
200	27,258	28,672	32,660
500 (एमजी सीरीज)	6	11	5
500 [एमजी (नई) सीरीज]	91,110	85,711	1,17,722
1,000	482	1	2
2,000	9,806	26,035	3,508
कुल	2,25,769	2,22,639	2,17,396

भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से समय-समय पर बैंकनोटों की सुरक्षा संबंधी विशेषताओं की प्रभावकारिता की समीक्षा करती है और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 25 के अनुसार नई सुरक्षा संबंधी विशेषताओं को लागू करने के उपाय करती है। जालसाजों से आगे रहने के लिए बैंक नोटों में नई सुरक्षा संबंधी विशेषताओं/नए डिजाइनों को शामिल करना एक निरंतर प्रक्रिया है।

जाली मुद्रा का पता लगाने और उसके परिचालन को रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, गृह मंत्रालय और आसूचना ब्यूरो के बीच निम्नलिखित समन्वय तंत्र मौजूद है: -

i. एफसीओआरडी बैठकों के माध्यम से समन्वय - आरबीआई सहित विभिन्न प्रवर्तन और आसूचना एजेंसियों के बीच समन्वय और सूचना-साझाकरण गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित जाली भारतीय मुद्रा नोटों (एफआईसीएन) समन्वय समूह (एफसीओआरडी) - जिसे गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा आसूचना ब्यूरो (आईबी) के तहत स्थापित किया गया है - की आवधिक बैठकों के माध्यम से किया जाता है। ये बैठकें नए प्रचलनों की समीक्षा करने, खतरों का आकलन करने और जाली मुद्रा के खतरों के प्रति संस्थागत प्रतिक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए अंतर-एजेंसी तालमेल के लिए एक मंच का कार्य करती हैं।
ii. सीईआईबी के साथ आंकड़े साझा करना - भारतीय रिज़र्व बैंक बैंकिंग माध्यम में पाए जाने वाले जाली नोटों के आंकड़ों को तिमाही के आधार पर मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर को समाप्त तिमाहियों के लिए उनके राज्य-वार विश्लेषण के साथ-साथ केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो (सीईआईबी) को उनके अवलोकन और अग्रिम आवश्यक कार्रवाई के लिए साझा करता है।

iii. एफआईयू-आईएनडी और एनसीआरबी को रिपोर्ट करना - धन शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) संशोधन नियमावली, 2013 के नियम 8 (1) के तहत मौजूदा अधिदेशों के अनुसार, बैंकों को ऐसे नकद संव्यवहार, जिनमें जाली नोटों का पता लगता है, से संबंधित जानकारी अगले माह की 15 तारीख तक वित्तीय आसूचना इकाई - भारत (एफआईयू-आईएनडी) को रिपोर्ट करना अनिवार्य है। यह फिननेट पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। इसके अतिरिक्त, बैंकों द्वारा जाली नोटों का पता लगाने संबंधी आंकडे राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी), नई दिल्ली के वेब-योग्य प्लेटफार्म पर भी अपलोड किए जाते हैं।

iv. यूएपीए के तहत गृह मंत्रालय को जानकारी प्रस्तुत करना - इसके अलावा, गृह मंत्रालय (एमएचए), भारत सरकार द्वारा बनाए गए उच्च क्वालिटी कूटकृत भारतीय करेंसी के अपराधों का अन्वेषण नियम, 2013 के नियम 8 के अनुसार, प्रिंटिंग प्रेस को प्रतिवर्ष उनके द्वारा विश्लेषित किए गए नकली मुद्रा नोटों की समीक्षा करने और भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट को प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके आधार पर, भारतीय रिजर्व बैंक विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1967 (यूएपीए) की तीसरी अनुसूची में किए जाने वाले संशोधन, यदि कोई हो, के संबंध में केन्द्र सरकार को अपनी सिफारिश प्रस्तुत करता है।
